

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 25/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सिरौही।		1. श्री सोनाराम पुत्र श्री प्रभू राम निवासी 123, मेघवाल वास गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही। 2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भागा राम निवासी 06, वेणेश्वर मामाजी, गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही। 3. श्री प्रभू राम पुत्र श्री धर्मराम निवासी मेघवाल वास गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही। 4. श्री गणेश राम पुत्र श्री जोधाराम निवासी मेघवाल गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल
एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी, प्रार्थी बैंक ।



निर्णय

दिनांक : 14.06.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री सोनाराम पुत्र श्री प्रभू राम निवासी 123, मेघवाल वास गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही।
2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री भागा राम निवासी 06, वेणेश्वर मामाजी, गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही।
3. श्री प्रभू राम पुत्र श्री धर्मराम निवासी मेघवाल वास गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही।
4. श्री गणेश राम पुत्र श्री जोधाराम निवासी मेघवाल गांव लूनोल तहसील रेवदर जिला सिरौही।




को राशि रुपये 03,50,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी

bulko
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

ने अपनी जायदाद All the piece and parcel of Immovable property Situated at Village Loonol, District - Sirohi (Rajasthan), admeasuring area about 748 Sq. Feet, Patta Issued Gram Panchayat Loonol Panchayat Samiti Reodar, District Sirohi (Rajasthan) on 01.06.2017, Patta No. 94 Dayar Date- 22.04.2017, Sankalp No. 01 Date-30.05.2017 in Compliance with 01.06.2017 Issued by Gram Panchayat and Sale Deed Registered before Sub Registrar Office Reodar on 04.07.2017, Book no. 01, Jild No. 252, Page No. 51, Sr. No. 2017001101 & additional Book No. 1, Jild No. 642 Page No. 01 to 10, Mortgaged by Mr. Prabhu Ram S/o Mr. Dharma Ram. है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 18.01.2023 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पत्ति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक सिरौही में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 03,50,000/- का ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।



Mello
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी । अप्रार्थी द्वारा राशि रूपये 03,50,000/- का ऋण लिया था । ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है । प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 18.01.2023 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है ।

दी सिक्युराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14 . Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) , the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.



परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र स्व. श्री शंकर लाल ने अपनी जायदाद All the piece and parcel of Immovable property Situated at Village Loonol, District - Sirohi (Rajasthan), admeasuring area about 748 Sq. Feet, Patta Issued Gram Panchayat Loonol Panchayat Samiti Reodar, District Sirohi (Rajasthan) on 01.06.2017, Patta No. 94 Dayar Date- 22.04.2017, Sankalp No. 01 Date-30.05.2017 in Compliance with 01.06.2017 Issued by Gram Panchayat and Sale Deed Registered before Sub Registrar Office Reodar on 04.07.2017, Book no. 01, Jild No. 252, Page No. 51, Sr. No. 2017001101 & additional Book No. 1, Jild No. 642 Page No. 01 to 10, Mortgaged by Mr. Prabhu Ram S/o Mr. Dharma Ram.(Mortgager), Four Corner Direction of the said immovable properties are given hereunder;

Mulla
जिला प्रजिस्ट्रेट, सिरोही

East - Samalati Rasta

West - 3 Feet Wide Gali After House of Mr. Bhura Ram S/o. Mr. Roopa Ram and Mr. Heera Ram S/o Mr. Uka Ram

North - House of Mrs. Jheni Devi W/o Mr. Sakla Ram Meghwal

South - House of Mr. Ganesh Ram S/o Mr. Chatara Ram

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोड़कर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरौही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भँवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही